

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

प्रकरण सं० 47/2016

निर्णय दिनांक 07/12/2016

सरकार बनाम इस्माइल खां पुत्र काजरका

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी जालवाली की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरु की गई।

अप्रार्थी श्री इस्माइल खां पुत्र श्री काजरका जमीन भूखसरा नं. 1139 साकिन जालवाली ग्राम जालवाली खसरा नं. 1139 जो कि रिकार्ड में 12.27 हे० भूमि दर्ज है में से 12.64 हे० भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी बादाजुद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है।

अतः अप्रार्थी श्री इस्माइल खां को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम के खसरा नं. 1139 रकबा 12.64 हे० भूमि का सम्यक् 2013 का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये 0.55 की दर से 12.64 हे० का 20 गुणा रूपये 139/2 अक्षरे रूपये एक सौ उनतासी मात्र त्रावान कायम किया जाता है तथा उक्त अतिक्रमी का तुरन्त बाराती-3 भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा मोंग कायमी टीआरको दर्ज करवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07/12/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर